संपदा, वन्यजीवों इत्यादि को भरी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही उस सम्पूर्ण क्षेत्र की खाद्य-श्रृंखला भी बुरी तरह से प्रभावित हुई – " इस 1970 में मध्यप्रदेश में एक डैम बनाकर पन-बिजली बनाकर सरकार ने हमारा भला करना चाहा। हमने देखा इससे तो डूब और कटाव में हमारा आधार जंगल ही तहस-नहस हो जाएगा।"[8]

वर्तमान समय में पर्यावरण एक अत्यंत चिंता का विषय है इसे गौरैया पक्षी के माध्यम से समझा जा सकता है। गौरैया जिसे 'घरेलू चिड़िया' के नाम से भी जाना जाता है, मनुष्य से अभिन्न रूप से जुडी हुई थी, क्योंकि इसका निवास मानव घरों के झरोखों में होता था। परन्तु आज वह बहुत कम घरों के आसपास दिखाई देती है। जिसका मुख्य कारण मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें मानी जाती हैं। आज मनुष्य इन्टरनेट का तीव्र से तीव्रतम रूप का उपयोग करना चाहता है परन्तु इस दौड़ में रहकर वह प्रकृति से कितना दूर होता जा रहा है। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है – " धुएँ के कहर के अलावा खेती के प्रयोग में आने वाले कीटनाशक, मोबाइल टावर के रेडिएशन भी मधु मक्खियों और मित्र पक्षियों के संहारक हैं।"[9]

इस उपन्यास की यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक द्वारा समस्याओं के चित्रण के साथ ही समाधान को भी भलीभांति दर्शाया है। जल-संकट इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनिश्चित सूखा पड़ता है और बिन मौसम भारी बारिश। लेखक ने इस बिन मौसम की वर्षा के पानी को छोटे-छोटे बाँधों के माध्यम से संरक्षित करने को कहा है। जिसके लिए वह अहमदनगर जिले के 'हिवरे बाज़ार' गाँव का उदाहरण देते हुए कहते हैं – " विदर्भ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी.....गाँव के बाहर हर पहाड़ी ढलान पर बारिश के पानी को रोका गया। छोटे-बड़े स्टॉप डैम बना के। घर-घर में सॉक पिट बने। 10 लाख पौधे रोपे, परिणाम – भू-जल स्तर 100 फीट से ऊपर उठाकर 20 से 40 फीट पर आ गया।"[10] लेखक कहते हैं कि जहाँ उर्वरक तथा कीटनाशक खरीदने के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है वहीं वह उर्वरक और कीटनाशक हमारे पर्यावरण को भी दूषित करते हैं इसलिए हमें इनके विकल्प में ऐसे जैविक उत्पादों का उपयोग कृषि में करना चाहिए। जिससे खेती के साथ-साथ पर्यावरण में भी लाभ हो – " कृषि वैज्ञानिक मल्टीनेशनल कीटनाशक कम्पनियों की अपनी नौकरी छोड़-छोड़कर आये हैं। ये गाँव-गाँव जाकर शेतकरी लोगों को जैविक तरीके से कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं..... हम सिर्फ कीटनाशक ही नहीं, खाद भी बनाते हैं।"[11]

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि 'फांस' उपन्यास में पर्यावरण पर सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है। इस उपन्यास के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब हम विकास के हर पहलू का अध्ययन करके उसे तभी अपनाने का प्रयास करें जब वह पर्यावरण की दृष्टि से भी हितकर हो।

****

सन्दर्भ सूची :

1. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. कुटज, पृ. सं. 32. राजकमल प्रकाशन।
2. अग्रवाल, हरीश. 'ओजोन हॉल की हकीकत'. जनसत्ता. 26 अगस्त, 2007
3. संजीव. फांस.पृ. सं. 169. वाणी प्रकाशन
4. संजीव. फांस.पृ. सं. 213. वाणी प्रकाशन
5. संजीव. फांस.पृ. सं. 189-190. वाणी प्रकाशन
6. संजीव. फांस.पृ. सं. 190. वाणी प्रकाशन
7. संजीव. फांस.पृ. सं. 202. वाणी प्रकाशन
8. संजीव. फांस.पृ. सं. 239. वाणी प्रकाशन
9. संजीव. फांस.पृ. सं. 189. वाणी प्रकाशन
10. संजीव. फांस.पृ. सं. 194. वाणी प्रकाशन
11. संजीव. फांस.पृ. सं. 191. वाणी प्रकाशन

जनजातीय विकास की रणनीतियाँ (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय
प्राचार्य
संस्कार विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

शोध सारांश:-
भारत सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों ने देश में अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के समग्र विकास को गति दी है। इस रणनीति ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को पहचान करने के अलावा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहल कदमियों के जरिए इनके निवारण का रास्ता भी तैयार किया है। सरकार ने इन सामाजिक और आर्थिक पहलकदमियों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया है। लेकिन साथ ही, खासतौर से अनुसूजित जनजातियों के लिए उनकी भागीदारी पर एक आधारित एक ऐसी स्वशासन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की सख्त जरूरत महसूस की गई है जिसमें यह समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद कर सके। इस तरह की भागीदारी पर आधारित और जनजाति प्रबंधित विकास पक्रिया से अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण संभव होगा। शैक्षिक अवसंरचना में इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धी दुनिया में किस तरह आधुनिक और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जरिए अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की दक्षता और ज्ञान को बढ़ाया जाए।

मुख्य शब्द:-जनजातीय, विकास, रणनीतियाँ, शैक्षिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक, भागीदारी आदि।

प्रस्तावना:-
भारत में विभिन्न पंचवर्षीय और सालाना योजनाओं में जनजातियों के विकास पर जोर दिया गया है। लेकिन देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण इस समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली, दूरदराज के इलाकों में बसावट, बिखरी हुई आबादी और निरंतर विस्थापन है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6 प्रतिशत यानी 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 1961 में 6.9 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया। लेकिन विकास के विभिन्न पैमानों पर देश के अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कम रही है। हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस आलेख में हम इन प्रावधानों के साथ ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकारी रणनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे।
सांविधानिक प्रावधान - भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों की विशेष जरूरतों को समझते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के अलावा इन समुदाय को शोषण

से बचाना भी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार उनका समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, संविधान में निरूपित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

विकास योजनाएँ और कार्यक्रम - नीति निर्माताओं और योजनाकारों ने पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की शुरूआत से ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पहली योजना में वंचित तबकों की जरूरतों को पर्याप्त और समुचित ढंग से पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किए गए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रभावी और सघन अभियान चलाने के मकसद से विशेष प्रावधान भी किए गए।

सरकार ने पहली योजना के अंत में देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस और समेकित विकास योजनाओं की जरूरत को महसूस किया। परिणामस्वरूप दूसरी योजना (1956-61) के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों को चार समूहों में बांटा गया जो इस प्रकार थे- 1. संचार, 2. शिक्षा और संस्कृति, 3. जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा 4. स्वास्थ्य, आवासन और जल आपूर्ति। आर्थिक विकास पर जोर देते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि समाज में असमानता घटे। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखा गया। ये कार्यक्रम इस समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति सम्मान और समझ पर आधारित थे। पहली योजना में जनजातीय कल्याण के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उन्हें 1961 तक प्रभावी स्वरूप मिल गया। दूसरी योजना के इस आखिरी वर्ष में सरकार ने 43 विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंडों की स्थापना की। इन्हें बाद में जनजातीय विकास खंड (टीडीबी) का नाम दिया गया। अनुसूचित जनजातियों को अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए दूसरी योजना में शामिल योजनाओं और नीतियों को तीसरी योजना (1961-66) में भी जारी रखा गया।

जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की संवेदनशील पहल पर वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये का बजट पारित किया है। जनजातियों के समग्र विकास के लिये पारित यह बजट वित्त वर्ष 2023 -24 की तुलना में 3,856 करोड़ रूपये (करीब 23.4 प्रतिशत) अधिक है। जनजातीय बंधुओं और इनकी पुरा संस्कृति के संरक्षण और समयानुकूल विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक नवाचारी कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी और कलाकार अब विकास की एक नई राह पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष रूप से पिछड़े एवं कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिये भी मध्यप्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया निवास करती हैं। पीएम जन-मन में इन विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण से जुड़े कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार ने जारी साल के बजट में इन कामों के लिये 1,607 करोड़ रूपये दिये हैं।जनजातीय कार्य विभाग की शौर्य संकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिये अलग से गठित की जायेगी। साथ ही इस समूह के इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती कराने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिये पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिये प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य निजी सुरक्षा एजेन्सियों में भर्ती कराने के लिये इन्हें प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीवीटीजी आहार अनुदान योजना में इन जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया को 1,500 रूपये प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिये सरकार ने बजट 2024-25 में 450 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। पीवीटीजी क्षेत्रों में 217 नये आंगनवाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं। इसके लिये बजट में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिये राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिये फ्री-कोचिंग दी जायेगी। इसके लिये सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। इस अकादमी के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जायेंगे। शासन से स्वीकृति मिलते ही रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी प्रारंभ कर दी जायेगी।

वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को 'आकांक्षा योजना' के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है।

जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन का छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ रूपये प्रावधान किया हैं। निरूशुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। टैबलेट के लिये डेटा प्लान भी सरकार निरूशुल्क उपलब्ध करायेगी। योजना के लिये सरकार ने बजट में 10.42 करोड़ रूपये आरक्षित किये हैं। तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये कार्यरत हैं पृथक-पृथक विकास प्राधिकरण जनजातीय कार्य विभाग में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना बनाने एवं इनका क्रियान्वयन के लिये एजेन्सी भी कार्यरत है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये योजना बनाने एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया पीवीटीजी के लिये पृथक-पृथक विकास

प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत हैं।पेसा एक्ट में मध्यप्रदेश में पेसा नियम, नवम्बर 2022 से लागू हैं। यह नियम प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखंडों की 5 हजार 133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11 हजार 596 गावों में लागू है। इन नियमों में प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजातीय वर्ग के हितों के लिये अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। पेसा से जनजातीय वर्ग अपनी क्षेत्रीय परम्पराओं, अपनी संस्कृति और जरूरतों के मुताबिक फैसले लेकर विकास की राह में आगे बढ़ सकेंगे। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से जनजातीय समुदाय के एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है।

कक्षा पहली से आठवीं तक प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 17 लाख 36 हजार 14 विद्यार्थियों को 56 करोड़ 59 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 9वीं और 10वीं केन्द्र प्रवर्तित प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 1 लाख 51 हजार 292 विद्यार्थियों को 52 करोड़ 15 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे कुल 2 लाख 33 हजार 91 विद्यार्थियों को 356 करोड़ 95 लाख रूपये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति वितरित की गई।

अजजा विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में 10 होनहार विद्यार्थियों को 2 करोड़ 89 लाख रूपये की विदेश अध्ययन छात्रवृति राशि दी गई। आवास किराया सहायता योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा एक लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 109 करोड़ 52 लाख रूपये की किराया प्रतिपूर्ति भुगतान की गई। सिविल सेवा परीक्षा के लिये निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना में वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 13 लाख रूपये व्यय कर 97 विद्यार्थियों को कोचिंग कराई गई। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में 2023-24 में एक करोड़ से 497 अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में 2023-24 में 18 लाख रूपये से 580 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया।

योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आंकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सर्वे नतीजों पर आधारित तेंदुलकर पद्धति को अपनाया था। इन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या गाँवों में 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 24.1 प्रतिशत थी।

एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति (मूलः सहायक) में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 41.8 प्रतिशत और 2019-20 में 47.1 प्रतिशत थी। सभी वर्गों के लिए यह दर 2017-1' में 36.9 प्रतिशत और 2019-20 में 40.1 प्रतिशत थी।

इसी तरह, एनएसएसओ और पीएलएफएस 2019-20 से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर 2017-18 में 4.3 प्रतिशत से घट कर 2019-20 में 3.4 प्रतिशत रह गई।

2011 की जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों को मिला कर साक्षरता की दर कुल आबादी में 73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में 59 प्रतिशत थी। युवा वर्ग की बात करें तो कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता का दर का अंतर 11.1 प्रतिशत था। यह अंतर युवकों में 7.1 प्रतिशत और युवतियों में 14.7 प्रतिशत का था। कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों जनजातियों की जनसंख्या के बीच साक्षरता दर का यह फासला काफी बड़ा था। निःसन्देह, सरकार के साक्षरता अभियानों का लाभ देश के सभी नागरिकों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। विद्यालय परित्याग दर शैक्षक विकास के अभावऔर शिक्षा के एक खास स्तर तक पहुंचने में किसी सामाजिक समूह की अक्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय परित्याग दर में कमी आ रही है।अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता की कमी, औपचारिक शिक्षा के परित्याग और दाखिले के कम अनुपात जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। स्कूलों में उनकी शिक्षा निःशुल्क किए जाने के साथ ही उन्हें पुस्तकें और वर्दियाँ मुफ्त दी जा रही हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए खासतौर से आवासी विद्यालय खोले गए हैं। इनमें इस समुदाय के छात्रों के भोजन और आवास का खर्च सरकार वहन करती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्यान्ह भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता का प्रसार है। दरदराज के गाँवों के निवासी और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण तीसरी योजना के दौरान ही शुरू कर दिया गया था। वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना शुरू की गई। जनजातीय उप-योजना के क्षेत्रों में 1990-91 से आदिवासी विद्यालियों की स्थापना शुरू की गई। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कोष के एक अंश का उपयोग करने का फैसला किया। इस धन का इस्तेमाल 20 राज्यों में छठी से बारहवीं तक कक्षाओं के लिए 288 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना पर किया जाना था। वर्ष 1997-98 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्चतर और पेशेवर शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की उच्चस्तरीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाने के लायक बनाना था। संशोधित कार्यक्रम को 12 सितंबर, 2019 को शुरू किए जाने के समय तक 200 ईएमआरएस काम करने लगे थे।

सरकार ने संशोधित योजना के तहत ईएमआरएस की स्थापना के लिए देश में 452 प्रखंडों की पहचान की है। ये प्रखंड इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा जनजातीय आबादी और कम-से-कम 20,000 आदिवासियों के निवास की शर्तें पूरी करते हैं। इन प्रखंडों में स्थापित किए जाने वाले ईएमआरएस पुरानी योजना के तहत मंजूर 288 विद्यालयों के अतिरिक्त होंगे। सरकार ने 740 ईएमआरएस खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा शहर में देश भर में 378 ईएमआरएस चल रहे हैं। इनमें से 205 विद्यालयों का संचालन पिछले पांच वर्षों (2017-22) के दौरान शुरू हुआ है।

साक्षरता और शिक्षा में प्रगति के साथ ही उद्यमिता के माहौल और कौशल विकास की पहलकदमियों की भी दरकार है ताकि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों को अपने निवास स्थान के नजदीक ही समुचित रोजगार मिल सके। कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया मिशन के तहत इस दिशा में कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के जरिए अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में जनजातीय समुदाय समेत समाज के सभी तबकों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए दीर्घकालिक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जनजाति घटक के माध्यम से

आदिवासियों के लिए कोषों के उपयोग का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। संसाधनों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के योग्य युवाओं को उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न पेशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष - मध्य प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर हमेशा जोर दिया गया है। लेकिन राज्यों में इस दिशा में हुई प्रगति में काफी असमानता है। आँकड़ों से जाहिर है कि अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियाँ आर्थिक तौर पर ज्यादा पिछड़ी हैं। अनुसूचित जनजातियों की गरीबी रेखा से नीचे की ज्यादातर आबादी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की है। उनके पास उत्पादक संपत्तियाँ बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं हैं।

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की पहचान करते हुए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलकदमियों के जरिए उनके समाधान के तौर-तरीके तैयार किए हैं। जनजातियों की भागीदारी पर आधारित स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है जिसमें इस समुदाय के सदस्य संसाधनों का खुद प्रबंध कर अपनी नियति स्वयं निर्धारित करें। इससे जनजातियों का उनकी भागीदारी और उनके प्रबंधन वाली विकास प्रक्रिया में सशक्तीकरण होगा। उचित स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों जैसी शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण का कदम सराहनीय है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की योग्यता और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए छोटे वनोपजों और कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर करता है। लिहाजा, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने तथा जनजातीय उत्पादों को संवहनीय ढंग से बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय सहयोग, तालमेल और एकजुटता की आवश्यकता है।

****

संदर्भ स्रोत:-

1. जनसम्पर्क विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 2025
2. जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश वर्ष 2015
3. गौतम मरकाम, जनजातियों की समस्याएं एवं निदान, (आलेख) 2025 https://www.allgk.in/cg-gk-cgpsc-and-vyapam-gk/
4. रावर्ट चैम्बर्स(1988) पुटिंग द पीपुल फर्स्ट, रूरल डेवलपमैंट लागमैन
5. ब्रार जे एस (1983) पोलिटिक्स इकोनामी आफ रूरल डेवलपमेंट, एलाइड पब्लिकेशन नई दिल्ली
6. दक टी एम (1982) सोशल इनइक्वालिटी एण्ड रूरल डेवलपमैंट नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
7. अजीत दाण्डा (1984)स्टडीज ऑन रूरल डेवलपमैंट एक्सपेरियेन्स एण्ड इश्यूज इंटर इंडिया पब्लिकेशन
8. गिलवर्ट इटन (1985) मीटिंग विथ पीजेन्टस रूरल डेवलपमैंट इन एशिया सेज नई दिल्ली
9. एस.सी.जैन(1985) रूरल डेवलपमैंन्ट इन्स्टीट्यूशंस एण्ड स्टेप्टजी, रावत पब्लिकेशंस
10. इन्दु माथुर (1982) चेंज इन रूरल सोसाइटी

हिन्दी की आधुनिक कविता में राम

डॉ. पी.एम.आर. जयन्ती
प्राध्यापक, हिंदी विभाग
एस.के.आर. एवं एस.के.आर. राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय (स्वायत्त) कडप्पा (आंध्र प्रदेश)

मनुष्य जाति को सन्मार्ग की और प्रेरित करने में युग युगांतर से राम के चरित्र ने मार्गदर्शक की भूमिका अदा की है। राम के चरित्र में समग्र भारतीय संस्कृति मूर्तिमान हो उठी है। उनके व्यक्तित्व को आधार बनाकर विभित्र भारतीय भाषाओं में अनेक कवियों ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की है और उसमें लोकमंगल की साधना की है। आधुनिक काव्य में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं सहित हिन्दीभाषा में राम के चरित्र पर आधारित ऐसे अनेक काव्यों की रचना हुई है जिनमें रचनाकारों ने परिवर्तित युगीन परिवेश के अनुसार परंपरागत कथा को नए आर्थों से संपन्न किया है। ऐसे काव्यों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के वैदेही वनवास, मैथिलीशरण गुप्त के साकेत और पंचवटी, बालकृष्ण शर्मा नवीन के उर्मिला, बलदेव प्रसाद मिश्र के कौशल किशोर, साकेत संत और राम राज्य, सुमित्रानंदन पंत के पुरुषोत्तम राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्तिपूजा, श्री नरेश मेंहता के संशय की एकरात, प्रवाद पर्व और शबरी, भारतभूषण के राम की जल समाधि, लक्ष्मीकांत वमी के चित्रकूट चरित्र, डॉ जगदीश गुप्त के शंबुक,डॉ . महेंद्र कार्तिकेय के प्रभ या तमु परात्पर एवं महेशचंद्र शुक्ल के छंद रामायण जैसे कई छोटे- बड़े –काव्य उल्लेखनीय हैं. इनमें "वैदेही वनवास' और 'साकेत" की पृष्टभूमि इस अर्थ में लगभग एक समान है कि कवियां में अपने युग की परिस्थितियों एवं आंदोलनों के प्रभाव ग्रहण करते हुए रामकथा के पात्रों के चरित्र में नवयुग के लिए आवश्यक आदर्शों की उद्भावना की. इन दोनो काव्यों में राम को एक ऐसे महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान कर दिया. साकेत के राम का आदर्श है -

"निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी
हम हो समष्टि के लिए व्याष्टि बलिदानी ।"

इसी प्रकार वैदेही वनवास के राम जनता-जनार्दन के प्रति नि:स्वार्थ भाव से समर्पित दिखाई देते हैं.

" गौरव क्या है?
जन भार वहन करना ही
सुख क्या है
बढ़कर दु:ख सहन करना ही ."

गुप्त जी ने अपने काव्य पंचवटी में सूर्पनखा प्रसंग को आधार बनाया है . इसमें एक ओर तो तत्कालीनसमस्याओं पर कवि ने पाठक ध्यान केंद्रित किया है तथा दूसरी ओर सीता और लक्ष्मण के चरित्रों में राष्ट्रीय परिवर्तन के अनुरूप आधुनिकता का समावेश किया है।

बालकृष्ण शर्मा नवीन ने काव्य 'उर्मिला' में राम को एक ऐसे क्रांति धर्मी मनुष्य के रूप में चित्रित किया है जो युगप्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस काव्य की भूमिका में कवि ने इसके वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए कहा है "मेरी इस उर्मिला में पाठकों को रामायण की कथा नहीं मिलेगी। रामायणी कथा से मेरा अर्थ है – क्रम से राम लक्ष्मण, जन्म से लगातार रावण विजय और फिर अयोध्या आगमन तक की घटनाओं का वर्णन. ये घटनाएँ भारत वर्ष में इतनी अधिक